IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कबीरधाम जिले में भूमि उपयोग में परिवर्तन

सरस्वती देवी* डॉ. टी.एल. वर्मा**

aसरस्वती देवी ,शोध छात्रा भूगोल अध्ययन शाला, पं रविशंकर शुक्ल विश्वविघालय रायपुर

डॉ. टी. एल. वर्मा प्रोफेसर भूगोल विभाग छत्तीसगढ़ महाविघालय

सारांश

भारत एक कृषि प्रधान देश है। जहाँ कृषि जीविकोपार्जन का साधन मात्र न होकर आज धीरे–धीरे उद्योग धन्धों का रूप लेता जा रहा है। जिसके कारण भूमि की उपयोगिता तथा स्वरूप में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। अध्ययन क्षेत्र कबीरधाम जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अन्तर्गत आता है। जिस कारण इस क्षेत्र में वर्षा की कमी एवं पवर्तीय क्षेत्र होने के कारण धरातल का स्वरूप असमतल है। प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य कर्वधा जिले में भूमि उपयोग एवं उसमें हो रहे परिवर्तन का अध्ययन करना है। यह अध्ययन जिला सांख्यिकी संगणना वर्ष 1981–83 एवं वर्ष 2011–13 पर आधारित है।

शब्द कुंजी : शस्य गहनता, विकासात्मक गतिविधिया।

प्रस्तावना :–

भूमि एक ऐसा संसाधन है, जो मानव सभ्यता के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की रूपरेखा तैयार करता है एवं मानव जाति के क्रियाकलापों का मुख्य आधार है। पिछले कुछ वर्षों में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या ने भूमि के उपयोगिकरण को गतिमान बनाया है। वर्तमान में जनसंख्या के बढ़ते दबाव एवं परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों की बढ़ती माँग, विकासात्मक गतिविधयों और प्रौधोगिक उन्नति के कारण भूमि उपयोग के प्रतिरूप और प्रकार में बढ़ते दबाव के कारण भूमि के अधिकाश भाग को कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा रहा । इसी तरह नगरीय क्षेत्रों के विस्तार से कृषि भूमि का संकुचन होने लगा है। इसी सन्दर्भ में अध्ययन क्षेत्र कबीरधाम जिले के भूमि उपयोग परिवर्तन का विश्लेषण करना है।

अध्ययन क्षेत्र

कबीरधाम जिला शिवनाथ बेसिन के उत्तर–पश्चिम में स्थित है यह चारों ओर से बालाघाट रायपुर, बिलासपुर और मण्डला जिले की सीमा रेखा, सतपुड़ा पर्वत माला और उत्तर की ओर मैकल पहाडियों से घिरा हुआ है। कबीरधाम जिला की स्थिति स्टेअस गजेट्यिर के अनुसार 21º50' व 20º30' उत्तरी अक्षांश तथा 80º-50' व 81º-26' पूर्वी देशांश के मध्य है। जिला 4447.05 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में विस्तृत है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 8,22526 है। प्रशासनिक दृष्टि से जिले में 04 तहसील तथा 4 विकासखण्ड 09 राजस्व मंडल तथा 188 पटवारी हल्कों में विभक्त है एवं जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

आंकडों के स्त्रोत एवं विधि तंत्र

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए द्वितीयक सूचनाओं एवं आकड़ों का प्रयोग किया गया है। भूमि उपयोग के आकडें जिला सांख्यिकी पुस्तिका पर आधारित है अध्ययन को पूर्ण करने के लिए प्राप्त आंकड़ों का वर्गीकरण सारणीयन तथा विश्लेषण किया गया है। तथ्य को सुगम एंव सुबोध बनाने हेतु मानचित्रों एवं आरेखों का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य :–

1) अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग की वर्तमान स्थिति को ज्ञात करना।

2) अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग में हो रहे परिवर्तनों के कारणों का उल्लेख करना।

भूमि उपयोग प्रतिरूप परिवर्तन :–

भूमि–उपयोग भौगोलिक अध्ययन का प्रमुख अंग है, एवं प्रकृति द्वारा प्रदत्त अमूल्य निधि है अध्ययन क्षेत्र में भूमि संसाधन आर्थिक क्रियाओं का आधार है। जिले में भूमि की प्रकृति एवं उपलबधता के आधार पर भूमि का संसाधन होना निर्धारित करती है। भूमि एक सीमित संसाधन है तथा इसके कुछ भाग में ही कृषि कार्य होते है। कबीरधाम जिले की भूमि को उपयोगिता की दृष्टि से निम्न वर्गो में विभाजित कर वर्ष 1981–83 एवं 2011–13 के आधार पर भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों में होने वाले परिवर्तनों को ज्ञात किया गया है।

1) ग्रामीण वन में परिवर्तनः–

वन मानव जीवन का अभिन्न अंग है। किसी भी क्षेत्र में पारिस्थितिक सन्तुलन बनाये रखने के लिये आवश्यक है। कबीरधाम जिले में 1981–83 में 19244 हेक्टेयर क्षेत्र पर वन थे जो कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6.87 प्रतिशत था। 30 वर्षो पश्चात 2011–13 में जिलें में वनों का क्षेत्रफल 25611 हेक्टेयर है जो कि कुल क्षेत्रफल का 9.11 प्रतिशत है इस प्रकार स्पष्ट है कि पिछले 30 वर्षो में बनो के क्षेत्रफल में 72. 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस तरह जिले के पण्डरिया विकासखण्ड में वर्ष 2011–13 में 14.4 प्रतिशत

तालिका क्र. 1

जिला कबीरधाम : भूमि उपयोग

क्र.	भूमि का वर्गीकरण	1981–83 क्षे. (हेक्टे.) में	कुल क्षेत्र का प्रतिशत	2011–13	प्रतिशत	प्रतिशत परिवर्तन
1	वन	19244	6.87	25611	9.11	-2.24
2	कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि	28373	10.13	26962	8.59	-0.54
3	कृषि अयोग्य भूमि	36140	12.9	24440.00	10.91	-1.99
4	परती भूमि	14170	5.05	12513.00	4.65	-0.6
5	निराफसलीय	182156	65.05	187347	66.74	-1.68
		280083	100	276873	100	-7-84

स्रोत :– जिला सांख्यिकी पुस्तिका

जबकि 1981–83 में 7.01 प्रतिशत था पिछले 30 वर्षें की तुलना में इस विकासखण्ड के वन क्षेत्र में +7.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूसरे स्थान पर लोहारा विकासखण्ड है। इसका क्षेत्रफल 1377.67 हेक्टेयर है जो कि 2.16% है तथा तीसरे स्थान पर बोडला जिसमें +0.13 प्रतिशत का विचलन हुआ है कवर्धा विकासखण्ड के आकडे निरंक पाये गये है इस तरह पिछले 30 वर्षो के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि जिले में वन के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है इसका प्रमुख कारण जनजाति बहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहां 1981 से 1995 तक स्थानान्तरीत कृषि किया जाना था जिस कारण वन के क्षेत्रफल में कमी हो रही थी परन्तु सरकार के प्रयासो एवं योजनाओं से जनजातियों द्वारा स्थायी कृषि को अपनाया जाना है। जिस कारण वर्तमान में वन के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है।

तालिका क्र. 2

जिला कबीरधाम : ग्रामीण वन में परिवर्तन

क्र.	विकासखण्ड	वन में 1981–83 (हेक्टे.) में	प्रतिशत	वन (हेक्टे.) में	प्रतिशत	प्रतिशत परिवर्तन
1	कवर्धा	0	0	0	0	–
2	पण्डरिया	6421.7	7.01	12526	14.4	+7.39
3	बोड़ला	11621	15.11	11707	15.24	+0.13
4	लोहारा	1201	1.2	1377.67	2.16	+0.94

स्रोत :– जिला सांख्यिकी पुस्तिका

2. कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में परिवर्तन :–

इस वर्ग के अन्तर्गत ऐसी भूमि को सम्मिलित किया जाता है, जो कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है या जिसका उपयोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में इसके अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल की वर्ष 2011–13 में 26962 हेक्टेयर है जो कुल क्षेत्रफल का 9.59 प्रतिशत है। जो पिछले वर्ष 1981–83 की तुलना में (10.13) 0.54 प्रतिशत कम हो गई है। जिले में पण्डरिया विकासखण्ड में कृषि अयोग्य भूमि का सर्वाधिक 10.58 प्रतिशत है जो तुलनात्मक रूप से 1981–83 (8.01 प्रतिशत) से 2. 57 की वृद्धि है व सबसे कम क्षेत्रफल मात्र लोहारा में 2011–13 में 10.67 प्रतिशत है जिसमें 30 वर्षो की तुलना में –1 प्रतिशत की कमी हुई है। शेष दो विकासखण्डों में बोडला (9.62) +0.53 प्रतिशत एवं कर्वधा (6.53) +0.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले 30 वर्षो में लोहारा विकासखण्ड में कमी हुई और शेष तीनों विकासखण्ड में कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में वृद्धि का औधोगिकरण एवं बढ़ती जनसंख्या का दबाव के कारण कृषि भूमि का संकुचन हो रहा है एवं कृषि अयोग्य भूमि में परिवर्तित हो रहा है। लोहारा विकासखण्ड में कमी का मुख्य कारण सिंचाई वर्ग व्यवस्था कर कृषि कार्यो में लाया जाना है।

3) कृषि अयोग्य भूमि में परिवर्तन :–

कृषि अयोग्य भूमि के अन्तर्गत वे भूमि सम्मिलित होती है जो कृषि योग्य है लेकिन भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आदि बाधाओं के कारण इनमें कृषि नही की जाती है। एवं व्यर्थ पड़ी भूमि चारागाह वृक्षों के झुंण्डों के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्रफल है। कबीरधाम जिले में 1981–83 में कृषि अयोग्य भूमि 12.9 प्रतिशत थी जो 2011–13 में 10.12 प्रतिशत हो गई है पिछले 30 वर्षो में इस वर्ग में –2.78 प्रतिशत की कमी हुई है। जिले में इस वर्ग में सबसे अधिक भूमि लौहारा विकासखण्ड में वर्ष 2011–13 में 8.86 प्रतिशत है जो वर्ष 1981–83 की तुलना में +218 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि सबसे अधिक कमी पण्डरिया विकासखण्ड में वर्ष 2011–13 में 9.42 प्रतिशत जो पिछले 30 वर्षो की तुलना में –4.82 प्रतिशत की कमी हुई है। दूसरे स्थान पर बोडला –2.53 की कमी तथा कमी पिछले 30 वर्षों की तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है, कृषि अयोग्य भूमि में कमी होने को मुख्य कारण सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होना है जबकि लोहारा में वृद्धि का मुख्य कारण धरातल का असमतलीकरण है।

4) परती भूमि में परिवर्तन

वर्तमान अथवा चालू पड़त भूमि के अतिरिक्त ऐसी भूमि जो कभी खेती के अधीन रही है, परन्तु कुछ समय से उस पर खेती नही की जा रही है। पडती के अन्तर्गत रखी जाती है। अध्ययन क्षेत्र में परती भूमि में पुरानी परती एवं चालू परती दोनों ही वर्गो को शामिल किया गया है परती भूमि दो प्रकार की होती है – नई परती (1–2 वर्ष) और पुरानी परती (2–5 वर्ष) जिसके अन्तर्गत कबीरधाम जिले की वर्ष 2011–13 में 4.45 : भूमि आती है जो पिछले वर्ष 1981–83 (5.05 प्रतिशत) की तुलना में –0.6

प्रतिशत की कमी हुई है। जिले में परती भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल बोडला विकासखण्ड में 6.79 प्रतिशत है वर्ष 1981–83 (5.67 प्रतिशत) की तुलना में +1.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है दूसरे स्थान पर लोहारा 3.22 प्रतिशत है जो वर्ष 1981–83 (2.71) की तुलना में +0.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परती भूमि में सबसे अधिक कमी पण्डरिया विकासखण्ड में वर्ष 2011–13 में 5.22 प्रतिशत की हुई, जो 1981–83 में 7. 78 थी जिसमें –2.56 की कमी हुई है दुसरे स्थान पर कर्वधा विकासखण्ड है जिसमें पिछले 30 वर्षो में –0.29 प्रतिशत की कमी हुई है। परती भूमि में कमी का मुख्य कारण बोड़ला, एवं लोहारा – विकासखण्ड का धरातलीय स्वरत पर्वतीय एवं असमतल है सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण इसमें कमी हुई है। जबकि पण्डरिया एवं कर्वधा में वृद्धि का मुख्य कारण उर्वरको के बढ़ते प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं का विस्तार है।

5) निराफसलीय क्षेत्र में परिवर्तन

निरा बोया गयो क्षेत्र अर्थात् फसलों के अन्तर्गत बोया गया क्षेत्र आता है। इसे कुल बोया गया क्षेत्र भी कहते है। यह क्षेत्र कृषि के अधीन होता है। जिले में 2011–13 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 65.06% है तथा 1981–83 में यह 65.06 प्रतिशत था अर्थात पिछले 30 वर्षों में शुद्ध बोये गये क्षेत्र में +1.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जिले में (वर्ष 2011–13 में) निराफसली क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्रफल पण्डरिया विकासखण्ड में 53567 हेक्टेयर है जो कि 60.37 प्रतिशत है जो वर्ष 1981–83 (58.25 प्रतिशत) की तुलना में +2.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूसरे स्थान पर कर्वधा (+1.86 प्रतिशत) की वृद्धि एवं तीसरे स्थान पर बोडला (+0.81)

तालिका क्र. 3

निराफसलीय क्षेत्र का वितरण

क्र.	विकासखण्ड	निराफसलीय क्षेत्र (हेक्टे.) में 1981–83	प्रतिशत में	निराफसलीय 2011–13	प्रतिशत में	प्रतिशत परिवर्तन
1	कर्वधा	44393	82.28	44724	84.14	+1.86
2	पण्डरिया	51686	58.25	53567	60.37	+2.12
3	लोहारा	47159.7	76.12	47758	75.09	–1.03
4	बोडला	38918.00	51.02	39798	51.83	+0.81

स्रोत :– जिला सांख्यिकी पुस्तिका

प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि पिछले 30 वर्षों की तुलना में जिले में वृद्धि हुई है। सबसे कम शुद्ध बोया गया क्षेत्र लोहारा में 47758 हेक्टेयर है, जो कि 75.09 है। पिछले 30 वर्षो की तुलना में –1.03 प्रतिशत की कमी हुई हैं। कमी होने का मुख्य कारण विषमता है। जिसमे सिंचाई सुविधा से भी लाभ नही होता है। शुद्ध बोये गये क्षेत्र में वृद्धि का प्रमुख कारण सिंचाई सुविधाओं का विकास है। कृषकों द्वारा नई कृषि तकनीको का उपयोग एवं सरकारी योजनाए का महत्वपूर्ण योगदान है।

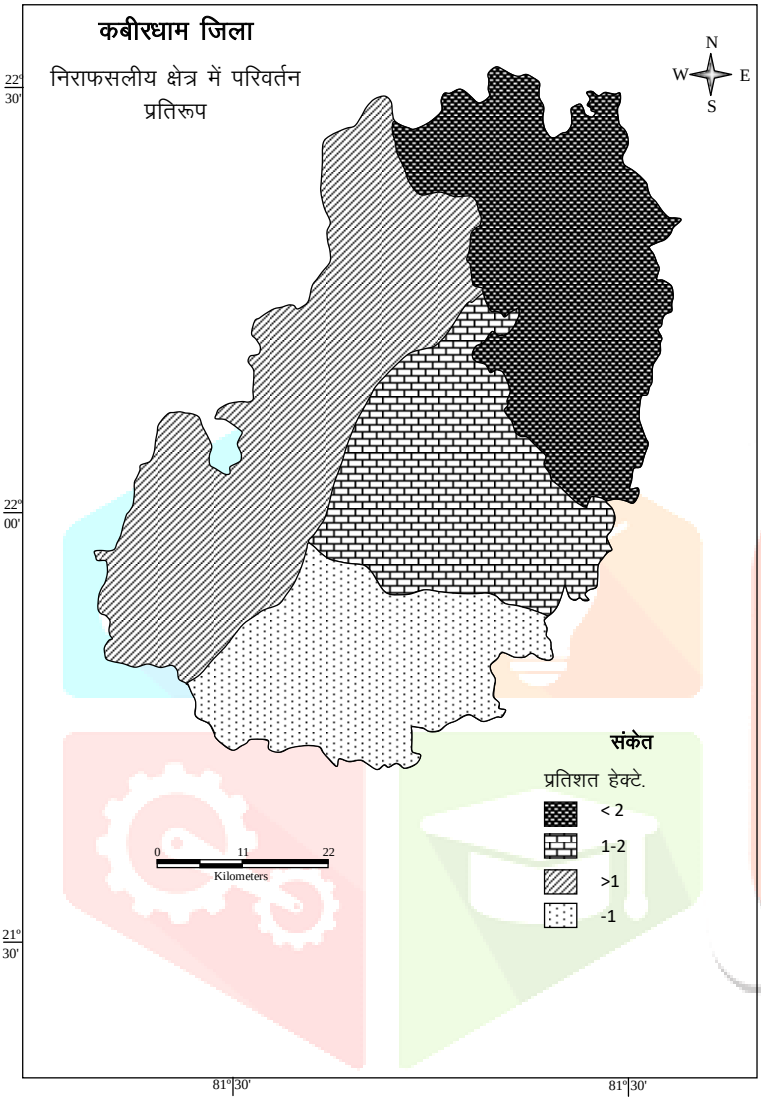

निष्कर्ष :–

उपयुक्त विश्लेषण से ज्ञात है । कि अध्ययन क्षेत्र में वर्षा की कमी धरातलीय असगंतीकरण के यहाँ की भूमि की उपयोगिता को प्रभावित किया है अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएँ अल्यल्प है बोडलाएवं लोहारा में भूमि संरक्षण एवं सुधार, सिंचाई कि उत्तम व्यवस्था कर कृषि भूमि के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण अल्प है अतः परिवन साधनों का विकास कर खरीफ के रगने का विस्तार किया जा सकता है।

अधिवासो और परिवहन मार्गो के उदग्र आयाम में वृद्धि कर अकृतय भूमि क्षेत्र में और भी कमी लाना, परती भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाना तथा बहुफसलीय क्षेत्र में वृद्धि कर शस्य गहनता में वृद्धि करना, यहाँ भूमि सुधारों के उचित कार्यान्वयन की जरूरत है।

संदर्भ (Reference)

Mishra, Abhishek and M.B. Singh (2013): "Acceuracy Assessrnent of landuse land cover classification of Varanasi District" National Geographical of India Vol 59, pt. 1 pp- 53-60.

Saha, Shubhra (2010): Landuse and Land cover changes in Rishikesh and Its Neighbourhood", Geographical Review of India No 2 pp 190-198

रामाप्रसाद, एवं सत्यवीर यादव (2007) : कृषि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण नियोजन, राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली।

विनिता एवं कां सत्बीर यादव (2011) : ''जिला रेवाडी (हरियाणा) में भूमि उपयोग एक भौगालिक विश्लेषण'' उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, Vol. 41 No.3 pp-11-16.

जायसवाल, अशोक (20 वर्मा, शालिनी (2008) : ''शिवनाथ बेसिन में भूमि उपयोग एवं कृषि नवाचार'', अप्रकाशित शोध प्रबंध, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.), पृ. 1–36।

वर्मा, शालिनी (2008) : ''शिवनाथ बेसिन में भूमि उपयोग एवं कृषि नवाचार'', अप्रकाशित शोध प्रबंध, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.), पृ. 1–36।

रजक, केवल प्रसाद एवं एस.के. उप्रेलिया (2004) : ''जबलपुर–होशंगाबाद मैदान में कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन'', उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक 40, सं. 1, पृ. 46–54।

सिंह, संदीप कुमार एवं प्रसाद, ओंकार (2011) : ''भूमि उपयोग में परिवर्तन एवं ग्रामीण विकास : बड़ागांव विकासखण्ड का एक भौगोलिक अध्ययन'', उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक 41, सं.1, पृ. 47–52